प्रेस विज्ञप्ति
08.03.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 05.03.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, **साई ग्रुप ऑफ कंपनीज**, इसके प्रमोटर जयेश विनोदकुमार तन्ना, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य भागीदार/सहयोगियों से संबंधित मुंबई में 9 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। एफआईआर के अनुसार फ्लैट खरीदारों से 72 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई है। तलाशी अभियान के दौरान, साई ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके प्रमोटरों/सहयोगियों के नाम पर अवैध रूप से अर्जित अचल संपत्तियों जैसे महाराष्ट्र में कई एकड़ जमीन, बंगले और फ्लैट, भारत के बाहर चल/अचल संपत्तियों का विवरण रखने वाले विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

ईडी ने मुंबई पुलिस द्वारा जयेश विनोदकुमार तन्ना, दीप विनोदकुमार तन्ना और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि साई ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटरों ने अपने प्रस्तावित पुनर्विकास और एसआरए परियोजनाओं में फ्लैट खरीदारों के धन को अपने निजी लाभ के लिए डायवर्ट करने के लिए विभिन्न कदाचारों का सहारा लिया, जिसके कारण परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाईं और इस तरह खरीदारों, पुराने किरायेदारों और निवेशकों को गलत तरीके से नुकसान हुआ।

तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप विभिन्न दस्तावेजी साक्ष्य बरामद हुए, जिनसे पता चला कि साई समूह के प्रमोटरों द्वारा परिसंपत्तियों को बेचने के लिए प्रयास किए गए थे, जो प्रथम दृष्टया अपराध की आय का हिस्सा थे। तलाशी अभियान के दौरान भौतिक और डिजिटल रूप में रिकॉर्ड भी पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।